हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.10/2022	नम्बर व तारीख जो हुक्म की तामिल में जारी हुए

06.4.2022

पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (एक) अमृत लाल माली पुत्र सकाराम माली, जाति– माली, निवासी– पानी की टंकी के पास, गोयली, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म चन्दन जनरल स्टोर, पानी की टंकी के पास, गोयली, तहसील व जिला– सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या– 2 (दो) अशोक कुमार पुत्र केसरीमल जी, अग्रसेन मार्ग, शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर, फर्म मंगल मूर्ति केटल फीडस् उद्योग, खेडादेवी रोड, गेमावत हॉस्पिटल के पास, भैरु चौक, सुमेरपुर, जिला– पाली अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 क्रमशः दिलिप चोरडिया पुत्र फतेह चन्द चोरडिया, निवासी– 6–ए, 2/2, पाल रोड, सुभाष नगर, जोधपुर एवं सुधीर अग्रवाल पुत्र श्री बाबुलाल अग्रवाल, 26, RATANADA EXTENSION, जोधपुर, भागीदार, फर्म तिरुपति ट्रेडिंग कम्पनी, D-9, Krishi Mandi Mandore, Jodhpur (Raj.)-342007 अनुपस्थित।

आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 25.3.2021 को फर्म चन्दन जनरल स्टोर, पानी की टंकी के पास, गोयली, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी अमृत लाल माली से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ चावल (लोटस ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1385 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./253/Act/2021/351 दिनांक 08.4.2021 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान नियत दिनांक 28.3.2022 को प्रतिवादी संख्या–1 (एक) अमृत लाल माली पुत्र सकाराम माली, जाति– माली, निवासी– पानी की टंकी के पास, गोयली, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म चन्दन जनरल स्टोर, पानी की टंकी के पास, गोयली, तहसील व जिला– सिरोही [अनुपस्थित। प्रति]वादी संख्या– 2 (दो) अशोक कुमार पुत्र केसरीमल [जी, अग्रसेन] मार्ग, शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता [एवं सप्लायर, फर्म] मंगल मूर्ति केटल फीडस् उद्योग, खेडादेवी रोड, गेमावत हॉस्पिटल के पास, भैरु चौक, सुमेरपुर, जिला– पाली तथा प्रतिवादी संख्या 3

......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:44 IST
Reason: SelfAttested

अ... मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.10/2022	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

व 4 क्रमशः दिलिप चोरडिया पुत्र फतेह चन्द चोरडिया, निवासी– 6–ए, 2/2, पाल रोड, सुभाष नगर, जोधपुर एवं सुधीर अग्रवाल पुत्र श्री बाबुलाल अग्रवाल, 26, RATANADA EXTENSION, जोधपुर, भागीदार, फर्म तिरुपति ट्रेडिंग कम्पनी, D-9, Krishi Mandi Mandore, Jodhpur (Raj.)-342007 ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 28.3.2022 को उक्तानुसार जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 28.3.2022 को ही प्रतिवादीगण को सुना गया। जिन्होनें यह अनुरोध किया कि ये उनका प्रथम अपराध है एवं उन्होनें स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार किया है। भविष्य में मिथ्याछाप खाद्य सामग्री का विक्रय नही करेंगे, इसलिये कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का निस्तारण करावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 25.3.2021 को सायं 11.00 ए.एम. पर फर्म चन्दन जनरल स्टोर, पानी की टंकी के पास, गोयली, तहसील व जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से अमृत लाल माली पुत्र सकाराम माली, जाति– माली, निवासी– पानी की टंकी के पास, गोयली, तहसील व जिला– सिरोही उपस्थित मिले। जो आम जनता को खाद्य पदार्थ चावल (लोटस ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ चावल (लोटस ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता अमृत लाल माली को गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। दुकान के अन्दर फर्श पर बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ चावल (लोटस ब्राण्ड) के 5 पैक्ड बैग (प्रत्येक 30 किलोग्राम) में से चावल (लोटस ब्राण्ड) के एक पैक्ड बैग को खोलकर बैग में मौजूद चावलों को अच्छी तरह हिलामिलाकर एकरुप किया एवं इस एक रुप किये हुए चावल (लोटस ब्राण्ड) में से 4 किलोग्राम चावल (लोटस ब्राण्ड) को खाद्य [illegible] एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना [illegible] एक साफ, सूखे एवं खाली भिगोने में खरीदा एवं चावल (लोटस ब्राण्ड) की कीमत राशि रुपये 180/- (रुपये [illegible]) विक्रेता अमृत लाल माली को [illegible] अदा कर [illegible] रसीद/बिल प्राप्त

.....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:44 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] खाद्य सुरक्षा [illegible]
सिरोही-307001

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.10/2022	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1385, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ चावल (लोटस ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाह को चार साफ, सूखे, खाली प्लास्टिक के जार दिखाये। खरीदशुदा चावल (लोटस ब्राण्ड) को चारों खाली जारों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं जारों को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना जारों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। एक नमूना जार के साथ खाद्य पदार्थ चावल (लोटस ब्राण्ड) के मूल लेबल को लगाकर टेप से चिपकाया तथा चारों नमूना जारों को अलग-अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पँहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीन्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग-अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 26.3.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा भावना देवी, वार्ड बॉय, कार्यलय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 25.3.2021 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने ... फर्म ... जनरल स्टोर, पानी की टंकी के पास ... सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता ... माली से खाद्य पदार्थ चावल (लोटस ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:44 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही-307001

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.10/2022	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ चावल (लोटस ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1385 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./253/Act/2021/351 दिनांक 08.4.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ चावल (लोटस ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी अमृत लाल माली की फर्म चन्दन जनरल स्टोर, गोयली द्वारा खाद्य पदार्थ चावल (लोटस ब्राण्ड) के 30–30 किलोग्राम के पैक्ड बैग को फर्म मंगल मूर्ति केटल फीडस् उद्योग, सुमेरपुर से बिल इनवोईस नम्बर 7934 दिनांक 06.2.2021 के द्वारा क्रय किया गये थे, जो प्रतिवादी अशोक कुमार की फर्म है। प्रतिवादी अशोक कुमार की फर्म मंगल मूर्ति केटल फीडस् उद्योग, सुमेरपुर द्वारा खाद्य पदार्थ चावल (लोटस ब्राण्ड) के 30–30 किलोग्राम के पैक्ड बैग को फर्म तिरुपति ट्रेडिंग कम्पनी, कृषि मण्डी, मण्डारे रोड, जोधपुर से बिल नम्बर 20–21/202 दिनांक 01.2.2021 के द्वारा क्रय किया गया था, जो प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की भागीदारी की फर्म है एवं चावल (लोटस ब्राण्ड) की निर्माता/पैकर फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है। इस प्रकार,, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चावल (लोटस ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चावल (लोटस ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी अमृत लाल माली पुत्र सकाराम माली, जाति– माली, निवासी– पानी की टंकी के पास, गोयली, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य [illegible] चन्दन जनरल स्टोर, पानी की टंकी के पास, [illegible] तहसील व जिला– सिरोही पर राशि [illegible] हजार मात्र) का एवं प्रतिवादी [illegible] पुत्र केसरीमल जी, अग्रसेन मार्ग, शिवगंज, जिला– सिरोही खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर, फर्म मंगल मूर्ति केटल फी[illegible] उद्योग, खेडादेवी रोड,

.......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:44 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही–307001

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.10/2022	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	गेमावत हॉस्पिटल के पास, भैरु चौक, सुमेरपुर, जिला– पाली पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है तथा मिथ्याछाप (Misbranded) चावल (लोटस ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी दिलिप चोरडिया पुत्र फतेह चन्द चोरडिया, निवासी– 6–ए, 2/2, पाल रोड, सुभाष नगर, जोधपुर एवं सुधीर अग्रवाल पुत्र श्री बाबुलाल अग्रवाल, 26, RATANADA EXTENSION, जोधपुर, भागीदार, फर्म तिरुपति ट्रेडिंग कम्पनी, D-9, Krishi Mandi Mandore, Jodhpur (Raj.)-342007 पर राशि रुपये 25,000/– (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि उन पर आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 17.5.2022 को पेश हो। (के.आर.खौड) न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:44 IST
Reason: SelfAttested